

पत्राक मान्यता-
सेवा में

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।

१४१।

/2017-18

दिनांक - 30/03/2018

प्रबन्धक

शहाना ईण्टरनेशनल स्कूल,
फरीदाबाद (डालहनपुर),
शाहगंज रोड, जौनपुर, उ०प्र०।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए
मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं शहाना ईण्टरनेशनल स्कूल, फरीदाबाद (डालहनपुर), शाहगंज रोड, जौनपुर, उ०प्र० को दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 30 जून 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा-आठ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपलब्ध के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कारण से फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम -25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण - पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

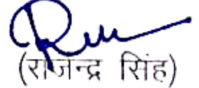
क्रमशः -2

h

Q

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमी को बनाये रखगा। अगिला निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षाएँ नहीं चलायी जायगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या सगम या किसी किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके द्वारा विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष 2018- ५१) है। कृपया इसे नोट करले और वही कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अचुदेशको का पालन करता है जो मान्यता सवन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबन्ध /न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निदेश का अनुपालन करेगा।
18. शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी का शासन द्वारा अनुगम्य पद ही मान्य होगा।
19. सलग्न अनुलग्नक उपलब्ध के अनुसार अन्य शर्तें:-

भवदीय



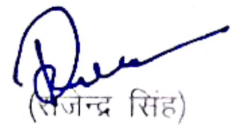
(राजेंद्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर

पू0स0 मान्यता/१९११ /2017-18 /तद दिनांक- 30/03/2018
प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-रायिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
- 3 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
- 4-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी /नगर शिक्षा अधिकारी जौनपुर



(राजेंद्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर